संख्या–1/ 3/96–का–4–2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक: 26 सितम्बर, 2012

विषयः–निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में ।

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1.1.2013 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 1.10.2012 से दिनांक 5.1.2013 के मध्य सम्पादित कराया जा रहा है ।

2. उपर्युक्त के संबंध में शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:–

(1) निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों का उक्त अवधि में स्थानान्तरण न किया जाय ।

(2) किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य पाये जाने पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय ।

(3) ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध अनुशासनिक /अभियोजन की कार्यवाही लम्बित हो, को निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से सम्बद्ध न किया जाय ।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2012, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचित, निर्वाचन / मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
5. सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 सा0 नियुक्ति–27–9–2012–(2574)–2002 प्रतियां (क0/टी0/ऑ0)।